

न्यायालय : न्यायनिर्णयन अधिकारी एवं अति० जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी : सुभाष कुमार, आर.ए.एस.

न्याय निर्णयन आवेदन सं० 07/2026

श्री कंवरपाल सिंह, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय अनिहित अधिकारी, (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर।

वनाम

- श्री राजेन्द्र कुमार पुत्र श्री चानन सिंह (विक्रेता व मालिक), मैसर्स न्यू निम्मीवाल स्वीट्स, एनएच-62, साधुवाली, तह. श्रीगंगानगर, निवासी वार्ड नंबर 5, 1 डी, साधुवाली, तहसील श्रीगंगानगर।

अपराध अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा
एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26(2)(ii)/51

दिनांक: 27.02.2026

निर्णय

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि परिवादी खाद्य सुरक्षा अधिकारी का राज० गजट नोटिफिकेशन क्रमांक-संख्या प.5 (01) चिस्या / ग्रुप-3 / ई-5095/2024 दिनांक 28.06.2024 द्वारा अधिसूचित किया है व परिवादी का पदस्थापन एवं कार्य क्षेत्र का आवंटन आयुक्त (खाद्य सुरक्षा) निदेशालय, राजस्थान, जयपुर के आदेश पत्र क्रमांक-आयुक्ता/संस्था./2024/1211 दिनांक 08.07.2024 और संशोधित आदेश पत्र क्रमांक आयुक्ता/संस्था./2024/1225 दिनांक 09.07.2024 द्वारा किया गया है। अधिसूचना एवं आदेश की फोटो प्रतियाँ न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न हैं।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 14.11.2025 को समय 05.00 पीएम बजे को मैसर्स न्यू निम्मीवाल स्वीट्स, एनएच-62, साधुवाली, तह. श्रीगंगानगर पर पहुँचे, मौके पर विक्रेता श्री राजेन्द्र कुमार पुत्र श्री शंकरलाल को अपना परिचय देकर संस्थान के फ्रिज में दो टीन के अंदर रखे खाद्य पदार्थ रसगुल्ला(छैना मिठाई) के बारे में जानकारी चाही, इस पर विक्रेता ने स्वयं को संस्थान का मालिक बताया व संस्थान के फ्रिज में दो टीन के अंदर रखे लगभग 20 किलोग्राम खाद्य पदार्थ रसगुल्ला(छैना मिठाई) को आमजन में विक्रय वास्ते होना बताया, इसी खाद्य पदार्थ में गुणवत्ताहीन होने का शक होने पर विक्रेता से नमूना जाँच वास्ते खाद्य पदार्थ का नमूना लेने की इच्छा विक्रेता को फॉर्म न. 5 ए भरकर देते हुऐ वयक्त की, मौके पर ही मालिक को फॉर्म न. 5 ए भरकर दिया। फार्म न 5ए न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म सं. 5 ए की प्रतियों को तैयार कर खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक तथा गवाहान को पढ़कर सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे श्री राजेन्द्र कुमार पुत्र श्री शंकरलाल (विक्रेता व मालिक) एवं गवाहान ने भी पढ़कर समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। फार्म से 5 ए की एक प्रति खाद्यकारोबारकर्ता एवं श्री राजेन्द्र कुमार पुत्र श्री शंकरलाल (विक्रेता व मालिक) को देकर असल पर रसीद प्राप्त की। फार्म सं. 5 ए मूल संलग्न न्यायनिर्णयन आवेदन है।

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर



आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा संस्थान का निरीक्षण करने पर आम जनता को विक्रय हेतु उपलब्ध खाद्य पदार्थ लगभग 20 किलोग्राम रसगुल्ला(छैना मिठाई) में से 2 किलोग्राम को विक्रेता से खरीद कर लिया। मालिक को मौके पर ही उक्त क्यशुदा खाद्य पदार्थ रसगुल्ला(छैना मिठाई) का नगद भुगतान 320 रुपये किया तथा केशमीमो बनवाकर लिया जिस पर विक्रेता तथा गवाहन के हस्ताक्षर हैं और आवेदक के भी हस्ताक्षर हैं। केशमीमो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा खाद्य पदार्थ रसगुल्ला(छैना मिठाई) को एकरूप कर बराबर भागों में वांटकर चार बोतलों में भरकर लिया। प्रत्येक बोतल में फार्मलिन की 40-40 वूंदें डालकर कसकर ढक्कन बंद किया और चारों बोतलों पर लेवल तैयार कर चिपकाए और लेवलों पर डी.ओ. श्रीगंगानगर के कोड एवं क्रमांक के-3185 दर्ज किया। प्रत्येक लेवल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं खाद्य कारोबारकर्ता एवं विक्रेता तथा गवाहन के हस्ताक्षर कराये। चारों नमूना भागों को अलग-अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. श्री गंगानगर की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नं के-3185 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपड़ी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आये। चारों नमूना भागों के पेपर पर गवाहन के हस्ताक्षर करवाकर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर कर सील बन्द चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया।

मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर प्रोपराईटर एवं विक्रेता तथा गवाहन को पढकर, सुनाकर एवं समझकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे श्री राजेन्द्र कुमार पुत्र श्री शंकरलाल (विक्रेता व मालिक) एवं गवाहन ने भी पढकर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फार्म नं 06 की छः प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील मोहर किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 06 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक बीकानेर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की और दो फार्म सं. 06 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपड़ी से सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक बीकानेर को जमा कराकर फार्म सं. 6 की पुस्त पर रसीद प्राप्त की एवं शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म संख्या 6 की दो प्रतियां और चौथा भाग मय फार्म संख्या 6 की एक प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

स्टेट सैन्ट्रल पब्लिक हेल्थ लैबोरेटरी, बीकानेर (राजस्थान) द्वारा जारी जांच रिपोर्ट क्रमांक :-L.S./1656/Act/2025/1656 Dated 24.11.2025 को प्राप्त हुई, जिसके अनुसार खाद्य नमूना **K-3185 SubStandard Food** होना पाया गया। खाद्यकारोबारकर्ता को जांच से असंतुष्ट होने की स्थिति में पुनः जांच करवाने हेतु आवेदन प्रस्तुत करने को कहा गया, परंतु खाद्यकारोबारकर्ता ने पुनः जांच का आवेदन प्रस्तुत नहीं किया। इस पर अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर ने प्रकरण में अभियुक्त राजेन्द्र कुमार पुत्र श्री


अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

चानन सिंह (विक्रेता व मालिक), मैसर्स न्यू निम्मीवाल स्वीट्स, एनएच-62, साधुवाली, तह. श्रीगंगानगर, निवासी वार्ड नंबर 5, 1 डी, साधुवाली, तहसील श्रीगंगानगर द्वारा अमानक स्तर का रसगुल्ला(छैना मिठाई) विक्रय किये जाने को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (ii)/51 के अन्तर्गत न्याय निर्णयन आवेदन दिनांक 02.02.2026 को प्रस्तुत किया गया।

परिवाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अभियुक्त को तलब किया गया। अभियुक्त को परिवाद की प्रति उपलब्ध कराई गई।

अप्रार्थी ने अपने जवाब में कथन किया कि प्रार्थी साधुवाली, श्रीगंगानगर को रहने वाला है, दिनांक 14.11.2025 को प्रार्थी की न्यू निम्मीवाल स्वीट्स से रसगुल्ला(छैना मिठाई) का सैम्पल लिया गया था। प्रार्थी रसगुल्ला बीकानेर से खरीदकर लाया था जो कि जांच में अमानक पाया गया, इसलिए रसगुल्ला के अमानक की कोई जानकारी नहीं थी फिर भी प्रार्थी क्षमा चाहता है।

लिहाजा प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि उक्त प्रकरण न्यायोचित कार्यवाही की जाकर नरमी का रूख अपनाते हुए कार्यवाही समाप्त की जावे। श्रीमानजी की अति कृपा होगी।

राज पैरोकार ने अपनी बहस में बताया कि अभियुक्त से लिया गया रसगुल्ला(छैना मिठाई) का सैम्पल K-3185 स्टेट सैन्ट्रल पब्लिक हैल्थ लैबोरेटरी, बीकानेर (राजस्थान) द्वारा जारी जांच रिपोर्ट क्रमांक- L.S./1656/Act/2025/1656 Dated 24.11.2025 SubStandard Food होना पाया गया है। अतः अभियुक्त के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा (2)(ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 में निर्धारित है।

अप्रार्थी ने अपनी बहस में जवाब के कथनों को ही दोहराते हुए कथन किया कि उक्त प्रकरण न्यायोचित कार्यवाही की जाकर नरमी का रूख अपनाते हुए कार्यवाही समाप्त की जावे। श्रीमानजी की अति कृपा होगी।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम के तहत सही प्रक्रिया अपनाते हुए नियमानुसार नमूने का संग्रहण किया गया है। इस प्रकार अभियुक्त से लिया गया Sample of "Rasgulla(Chhena Mithai)" bearing Code No and Sr. No. K-3185, of Designated Officer cum Chief Medical & Health Officer, Sri Ganganagar is Substandard Food as extracted fat does not conform the standard of Milk Fat as prescribed in Food Safety and Standards (Food Standards and Food Additive) Regulation, 2011. की जांच रिपोर्ट पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है।

फलस्वरूप अभियुक्त राजेन्द्र कुमार पुत्र श्री चानन सिंह (विक्रेता व मालिक), मैसर्स न्यू निम्मीवाल स्वीट्स, एनएच-62, साधुवाली, तह. श्रीगंगानगर, निवासी वार्ड नंबर 5, 1 डी, साधुवाली, तहसील श्रीगंगानगर को एक्ट 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (ii) के अन्तर्गत घटित अपराध का दोषी पाया जाता है। फलतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 के अन्तर्गत अभियुक्त राजेन्द्र कुमार पुत्र श्री चानन सिंह

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर



(विकेता व मालिक), मैसर्स न्यू निम्मीवाल स्वीट्स, एनएच-62, साधुवाली, तह. श्रीगंगानगर, निवासी वार्ड नंबर 5, 1 डी, साधुवाली, तहसील श्रीगंगानगर को राशि रूपये 05,000-00 (अखरे रूपये पांच हजार मात्र) के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है।

अभियुक्तगण को यह निर्देश दिये जाते हैं कि भविष्य में खाद्य पदार्थ में डालने के लिए उच्च गुणवत्ता के घटकों का इस्तेमाल करें, ताकि ऐसे खाद्य पदार्थों से उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। इन आदेशों की पालना सख्ती से की जावे। निर्णय की प्रति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर को भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 27.02.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



3
(सुभाष कुमार)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्रशांत)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर (प्रशांत)
श्रीगंगानगर